

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : वसूली/प.(1)/77/२५७

दिनांक :- 19/9/13


—: संशोधित पत्र :—

पूर्व में इस कार्यालय द्वारा जारी पत्रों में भूल वश सभी में उदयपुर शहर हेतु नवीन पंजीकरण योजना के आवेदकों से आवेदन पत्र जमा कराने से लेकर असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि लौटाने तक का कार्य करने हेतु निम्न बैंकों को अधिकृत किया गया था। उसमें निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है :-

1. पत्र क्रमांक 247 / 17.09.13 में उदयपुर शहर के स्थान पर सांगवाड़ा पढ़ा जावे।
2. पत्र क्रमांक 250 / 17.09.13 में उदयपुर शहर के स्थान पर बांसवाड़ा पढ़ा जावे।
3. पत्र क्रमांक 251 / 17.09.13 में उदयपुर शहर के स्थान पर निम्बाहेड़ा पढ़ा जावे।
4. पत्र क्रमांक 252 / 17.09.13 में उदयपुर शहर के स्थान पर परतापुर पढ़ा जावे।
5. पत्र क्रमांक 253 / 17.09.13 में उदयपुर शहर के स्थान पर भीलवाड़ा पढ़ा जावे।

भवदीय

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


वित्तीय सलाहकार

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राज. आवा. मण्डल, जयपुर।
4. मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, राजस्थान आवासन मण्डल को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना मण्डल की वेबसाईट पर डालने का श्रम करें।
6. निदेशक (विधि)/अति. मुख्य नगर नियोजक/जन सम्पर्क अधिकारी, राज. आवा. मण्डल, जयपुर।
7. उप आवासन आयुक्त, वृत्त को भेजकर लेख है कि अधिकृत बैंक में उक्त कार्य के सम्पादन हेतु खाता खोलने एवं निर्देश देने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।
8. महाप्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, बासवाड़ा/निम्बाहेड़ा/भीलवाड़ा
9. महाप्रबंधक, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, सांगवाड़ा/निम्बाहेड़ा/परतापुर/भीलवाड़ा
10. रक्षित पत्रावली


वित्तीय सलाहकार